1– निगरानी/टी.ए./7472/2006/हनुमानगढ
मु0 अनकौरी आदि बनाम तोलाराम आदि

2– निगरानी/टी.ए./7473/2006/हनुमानगढ
मु0 अनकौरी आदि बनाम तोलाराम आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18–9–2018	**एकल–पीठ** **श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य** **उपस्थिति :–** श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक प्रार्थी श्री प्रदीप नेहरा, अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** यह दोनों निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान उप खण्ड अधिकारी, पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 3–8–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। दोनों निगरानी में समान बिन्दू एवं समान पक्षकार होने के कारण दोनों निगरानी का निर्णय एक साथ ही किया जा रहा है, निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार प्रार्थीगण / वादीगण ने प्रतिवादी राज्य सरकार एवं अधिशाषी अभियन्ता (खण्ड द्वितीय) हनुमानगढ के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88–188–92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उप खण्ड अधिकारी, पीलीबंगा के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या–2 से 4 के पिता रामचन्द्र व प्रार्थी संख्या–5 का पिता मनीराम कुल 4 भाई थे एवं चारों भाईयों की खाता खाता की आराजी चक 23 के.आर.के. में थी। इस भूमि में पं0नं0 26/242 में चारों भाईयों का बहिस्सा बराबर किला नं. 3 से 8, 13 से 18 व 23 से 25 कुल 15 बीघा भूमि थी। दौराने वाद अप्रार्थी संख्या–1 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत बनाये जाने पक्षकार पेश किया, जिस पर विद्वान सहायक कलेक्टर, पीलीबंगा ने अपने निर्णय दिनांक 3–8–2006 के द्वारा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये उसे वाद एवं धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाने का आदेश प्रदान कर दिया। जिससे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व्यथित होकर वर्तमान दोनों निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पीलीबंगा ने अपने निर्णय दिनांक 3–8–2006 में यह आदेशित किया है कि वादीगण द्वारा अपने अनुतोष में विवादग्रस्त आराजीयात में खाला स्वीकृत नहीं करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया है जबकि प्रार्थी तोलाराम का यह कथन कि इसी खाले से उसकी भूमि की सिंचाई होती है। जिससे मूल वाद में प्रार्थी तोलाराम को पक्षकार बनाया जाना उचित है। प्रार्थी तोलाराम का प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर उसे मूल वाद में पक्षकार बनाया जाता है। यह दोनों निगरानी इसी निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि उनके द्वारा विचारण न्यायालय ने एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–88–188–91ए का प्रस्तुत किया था। यह दावा सरकार एवं अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रस्तुत किया गया था। मौके पर खाला नहीं है। जिससे अप्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार नहीं है। केवल दावा को लम्बा करने के लिये पक्षकार बनना चाहते हैं। प्रार्थी / वादी अप्रार्थी से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहता है। वह केवल राज्य सरकार एवं सिंचाई विभाग से ही अनुतोष चाह रहा है कि सेटलमेन्ट विभाग ने दो दो बिस्वा को खाले के रूप में अंकित कर दिया है। जबकि मौके पर खाला नहीं है। अप्राथीगण खाला होना बताकर के पक्षकार बनना चाह रहे हैं। न्यायालय को केवल यह निर्धारित करना है कि खाला दर्ज किया गया है, वह सही है अथवा नहीं। पक्षकार बनने से अनावश्यक रूप से लिटिगेशन बढेगा। अप्रार्थीगण को विवादग्रस्त आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है। इसका कोई हित भी नहीं है। प्रभावी पक्षकार एवं हित निहित नहीं होने से पक्षकार बनने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनकी निगरानी को स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 3–8–2006 को निरस्त करने के आदेश दिये जावें। अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के जवाब में बताया कि खाला की भूमि सरकारी भूमि है। मौका पर खाला चालू है। अप्रार्थीगण ऐसे खाले को निरस्त करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण के खेत के आगे इसी खाले से उनके खेत में पानी जाता है। जमाबन्दी में भी खाला का अंकन किया हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है। इसी खाले से उनकी भूमि में पानी लगता है। अतः उनकी निगरानी में कोई सार नहीं है। विचारण न्यायालय ने जो पक्षकार बनने के जो आदेश दिये हैं, वह विधिसम्मत है। अतः निगरानी को खारिज किया जावे। रिबटल में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि यदि खाले से सिंचाई होती है तो इसे साबित करना चाहिये। राजस्व रिकार्ड में सेटलमेन्ट विभाग ने जो खाला दर्ज किया है उसे ही चैलेन्ज कर रहे हैं। यह किसी भी प्रकार से प्रभावी पक्षकार नही है। इनके द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किये हैं। विवाद जो है सेटलमेन्ट द्वारा की गयी प्रविष्टि से है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 3–8–2006 को निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जावे। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. मूलतः इस प्रकार है :– **10– गलत वादी के नाम से वाद–(1) जहां कोई वाद वादी के रूप में गलत व्यक्ति के नाम से संस्थित किया गया है, या जहां यह संदेहपूर्ण है किक्या वह सही वादी के नाम में संस्थित किया गया है वहां यदि वाद में किसी भी प्रक्रम में न्यायालय का यह समाधान हो**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाता है कि वाद सदभाविक भूल से संस्थित किया गया है और विवाद में के वास्तविक विषय के अवधारण के लिये ऐसा करना आवश्यक है तो, वह ऐसे निबन्धनों पर, जो वह न्यायसंगत समझे, वाद के किसी भी प्रक्रम में किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने या जोडे जाने का आदेश दे सकेगा। जमाबन्दी संवत 2059 से यह स्पष्ट है कि रिकार्ड में विवादग्रस्त आराजीयात पर खाला दर्ज है। पर्चा लगान जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी किया गया है, उसमें भी खाले का अंकन किया हुआ है। पटवारी हल्का गोलूवाला–A ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24–3–2006 में यह अंकित किया है कि चक–23 J.R.K.B. में मुरब्बा नम्बर–26/242 के किला नम्बर–5–6–15–16–25 से मौके पर खाला चल रहा है। इस खाला का कनीराम पिता तोलाराम, जाति ब्राहमण की 40 बीघा 10 बिस्वा भूमि की बारी मौके पर बन्धी चल रही है। यह रिपोर्ट सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग के द्वारा चाही जाने पर दी गयी है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट के साथ में चक प्लान का नजरी नक्शा भी संलग्न किया है। रिकार्ड में जब खाला दर्ज है एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी खाला चालू होना बताया गया है। इस संबंध में एक राजीनामा की प्रति भी प्रस्तुत की गयी है। जिस पर वादी लालचन्द, कृष्णलाल, खेतपाल के हस्ताक्षर किये हुये हैं। इसमें भी सामूहिक रूप से यह बयान दिये गये हैं। जब से भाखडा नहर आई हुई थी, तब से हमारे पूर्वजों ने अप्रार्थी तोलाराम को रजामन्दी से मुरब्बा नम्बर–26/242 के किला नम्बर–5–6–15–16–25 में से खाला अस्थाई तौर पर दिया था, क्योंकि जहां से तोलाराम के खेत को खाला मन्जूर है, वहां से रेत के टीले होने के कारण पानी नहीं लगता था। इसलिये रजामन्दी से एक बार मौके पर पानी लगाने के लिये दिया था। अब जहां से खाला मन्जूद है, वहां भूमि ठीक हो चुकी है व मौके पर खाला खोदने से पानी लग सकता है। इस खाला को देने में हम सहमत हैं। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के खेत की सिंचाई वर्तमान में मौके पर स्थित खाला से हो रही है। जिससे अप्रार्थीगण हितबद्ध एवं प्रभावी पक्षकार है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–1 नियम–10	

1– निगरानी/टी.ए./7472/2006/हनुमानगढ
मु0 अनकौरी आदि बनाम तोलाराम आदि

2– निगरानी/टी.ए./7473/2006/हनुमानगढ
मु0 अनकौरी आदि बनाम तोलाराम आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सी.पी.सी. में हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार संयोजित करना न्यायोचित है। विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है एवं ऐसे विधिसम्मत आदेश पर निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप यह दोनों निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(चिरंजी लाल दायमा)** **सदस्य**	

1– निगरानी/टी.ए./7472/2006/हनुमानगढ

मु0 अनकौरी आदि बनाम तोलाराम आदि

2– निगरानी/टी.ए./7473/2006/हनुमानगढ

मु0 अनकौरी आदि बनाम तोलाराम आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए